an>

Title: Need to make amendments in Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) ः सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2001 और 2009 में प्रारंभ किया गया। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को पूर्णतः सीमित कर दिया गया है, जिसमें कोई भी राज्य सरकार इस राशि को अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसमें कोई भी राज्य निधारित क्लास रूप से ज्यादा कक्षाओं का निर्माण नहीं कर सकता। कुल आवंटित राशि का 30 प्रतिशत से ज्यादा का इस्तेमाल भवन निर्माण में नहीं कर सकता और न ही अपने यहां पढ़ाने वाले अध्यापकों को पूशिक्षित कर सकता है। चाहे उसकी नितांत आवश्यकता हो। इस कारण से ऐसी सभी योजनाएं कुछ राज्यों में पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो सकती।

इस योजना के तहत नये स्कूलों के निर्माण के नियम भी काफी सख्त हैं। हालांकि ये बहुत सारे राज्यों में लागू हो सकते हैं, परंतु गुजरात राज्य में लागू करने के लिए इनमें कुछ बदलावों की जरूरत है। जैसे- हर पांच किलोमीटर पर एक स्कूल का बनाया जाना एक अच्छा कदम है। परंतु जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हो, वहां इस नियम में बदलाव की जरूरत है। गुजरात जैसे राज्य में जनसंख्या कम होने के कारण हर पांच किलोमीटर पर नये स्कूल का खुलना असंभव है। गुजरात राज्य में इस योजना के अंतर्गत जो स्कूल खुले हैं, उनमें विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है, जिस कारण से इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उक्त योजनाएं राज्य सरकार की पूर्व योजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती। राज्य सरकार ने इस योजना के प्रारंभ होने से पहले ही 1 लाख अध्यापकों की भर्ती की थी व विद्यार्थियों को मुफ्त कॉपी व किताबें दिये जाने का प्रावधान था, जिनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि उक्त योजनाओं में संशोधन किया जाये, जिससे राज्य में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का प्रसार हो सके और सभी शिक्षित हो सकें।